राजस्व लोक अदालत अभियान " न्याय आपके द्वारा" 2018

आदेश / निर्णय / डिकी

प्रकरण संख्या 47 / 2018

निर्णय दि0 10.5.2018

धारा 88 आरटीए

कमला पिता सोमा भील एंव मीर पिता सोमा भील के अन्तर्गत धारा काश्तकारी कानुन 1955 एंव 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व लोक अदालत अभियान " न्याय आपके द्वार :: 2018 कैम्प हथाई में एक वाद प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । वादीगण का मौजा हथाई की पेतृक कृषि भूमि खाता नम्बर 337 कुल खसरा 25 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा मे प्रतिवादीगण श्री मावजी, जगजी पिता सोमा जो कि रिश्ते मे वादीगण के भाई है के साथ अपना नाम जुडवाना चाहती है। प्रतिवादीगण द्वारा भी इससे सहमती व्यक्त की गई है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मे पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न की है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण की तस्दीक एवं सजरा भी संरपच उपसरंपच सचिव ग्राम पचायत हथाई एव पटवारी हल्का हथाई द्वारा की गई । वाद के साथ ग्राम हथाई की संवतः जमाबन्दी 2030–2035 खाता सः 21 प्रमाणित प्रति नामान्तकरण 1288 खाता सं 191 की प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की खाता सं 337 की प्रमाणित प्रति सलग्न की गई । साथ ही एंव मौका पर्चा वागीण एंव प्रतिवादीगण के सहमती पत्र भी सलग्नं किया गया है।

वाद पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्रम हथाई की जमाबन्दी सम्वत 2030–2035 के खाता सं 21 प्रमाणित प्रति, नामान्तकरण संख्या 1288 खाता संख्या 191 की प्रमाणित प्रति एवं जमाबंदी संवत् 2071–74 की खाता संख्या 337 की प्रमाणित प्रति तथा संलग्न प्रमाणित सजरे से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है । प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का नाम जोडने की सहमती व्यक्त की गई है।

रिपोर्ट तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा भी प्रतिवादीगण का नाम वादीगण के साथ सहखातेदार के साथ जोडने की अभिंशषा की गई है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के साथ पेतृक सम्पत्ति मे (कृषि भूमि) अपना नाम जुडवाने का अधिकार रखते है।

अतः आदेश दिया जाता है। कि ग्राम हथाई पटवार हल्का हथाई तहसील डूंगरपुर की जमाबन्दी सम्वतः 2071–2074 के खाता सं 337 कुल 25 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा मे बराबर हिस्से मे वादीगण के साथ प्रतिवादीगण का नाम सहखातेदार के रूप मे जोडा जावे। तहसीलदार डूंगरपुर को पालनार्थ लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर